

प्रेषक,
 अनिल संत,
 सचिव,
 उ०प्र० शासन।
 सेवा में,
 समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
 उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (6) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 06 जुलाई, 2011

विषय: योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत/वार्ड/एन०जी०ओ० के स्तर पर गत वर्षों के अवशेष खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत का समायोजन।

महोदय,

अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-149/79-6-04-1(6)/2000 टी०सी०-3 दिनांक 25-6-04 एवं संख्या-1646/79-6-04-1(6)/2000 टी०सी०-3 दिनांक 23-07-04 द्वारा प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन हेतु आदेश निर्गत किए गये हैं। वित्तीय वर्ष 2008-09 से योजना का विस्तारीकरण प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी किया गया है।

2- जनपद स्तर पर योजना संचालन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्न समिति का गठन किया गया है :-

1-मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
2-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य/सचिव
3-जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
4-जिला कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य
5-जिला पूर्ति अधिकारी	सदस्य
6-मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
7-समस्त उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
8-जिला विकास अधिकारी	सदस्य
9-परियोजना निदेशक, डी०आर०डी०ए०	सदस्य
10-जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
11-जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
12-संबंधित नगर आयुक्त/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी	सदस्य
13-भारतीय खाद्य निगम/उ०प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के अधिकारी	सदस्य

3- योजना संचालन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी को सचिव, बेसिक शिक्षा के अर्द्धशा०प०सं०-03/2004-05 दिनांक 01-12-04 द्वारा नोडल अधिकारी बनाया गया है। योजना के नोडल अधिकारी होने के दृष्टिगत जिलाधिकारी के समस्त अधिकार नोडल अधिकारी के पास उपलब्ध है, ताकि योजना का सुगम संचालन जनपद स्तर पर किया जा सके।

4- योजनान्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन तैयार किये जाने हेतु खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) तथा परिवर्तन लागत (मध्याह्न भोजन तैयार किये जाने हेतु दी जाने वाली

धनराशि) विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाता है। विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराए गये खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत का लेखा-जोखा रखे जाने हेतु मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या-13242-312/2007-08 दिनांक 06-11-07 द्वारा मध्याह्न भोजन पंजिका रखे जाने की व्यवस्था की गयी। उक्त पंजिका में विद्यालय स्तर पर योजना से प्रतिदिन लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या तथा वितरित होने वाले मध्याह्न भोजन का विवरण अंकित किया जाता है। मध्याह्न भोजन पंजिका में अंकित विवरण के आधार पर खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत का उपभोग प्राप्त होता है इसके आधार पर जनपद स्तर पर प्रत्येक विद्यालय हेतु उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत का उपभोग एवं अवशेष की स्थिति ज्ञात होती है।

5- अतः योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत/वार्ड/एनजीओ के स्तर पर बिन्दु संख्या-4 में वर्णित व्यवस्था के आधार पर गत वर्षों के अवशेष खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के समायोजन की कार्यवाही की स्थिति उत्पन्न होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस सम्बन्ध में संबंधित कार्यदायी संस्था को अवशेष खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के समायोजन किए जाने हेतु जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नोटिस देगा तथा नोटिस में यह भी उल्लिखित किया जायेगा कि इस संबंध में यदि संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा अपने पक्ष में कोई तथ्य प्रस्तुत करना है तो एक सप्ताह में अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि उक्त समयावधि में संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा लिखित रूप से साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अवशेष खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत की वसूली संबंधित कार्यदायी संस्था से भू-राजस्व के बकाये की भांति किये जाने हेतु स्पष्ट मांग-पत्र जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावानुसार विभिन्न स्तरों पर खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के समायोजन की कार्यवाही बाधित होने की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा राजस्व वसूली अधिनियम 1890 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के क्रम में आवश्यकतानुसार वसूली की कार्यवाही भू-राजस्व के बकाए की भांति सम्पादित की जायेगी, ताकि अभीष्ट समायोजन किया जा सके और योजना का क्रियान्वयन सुगम हो सके।

भवदीय,

अनिल संत
सचिव।

पृष्ठांकन समसंख्यक(1)तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 4- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक शिक्षा), उ०प्र०।
- 5- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र०।

आज्ञा से,

Indubing

(बाल कृष्ण दुबे)
विशेष सचिव।

१-